अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्दना राठौड बनाम घनश्याम सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधि0

प्रकरण संख्या.118 / 2023(अजमेर)

	2023/118 श्री लक्ष्मणनाथ योगी	
29.03.2023	(चन्दना राठौड गनाम घनश्याम वगैरह 118 / 2023) यह अपील श्री लक्ष्मणनाथ योगी एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0(अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति बाबत) पेश किया है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 में अंकित कथनों की ताहिद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया को जरिये पंजीकृत वसीयत अपनी दादी मां राजमाता श्रीमती उमाकान्ता देवी से प्राप्त हुई लेकिन प्रार्थीया को पक्षकार मुर्तिब किये बिना प्रार्थीया के सिजारियोंको एवं प्रार्थीया की आरे से वादग्रस्त भूमि एवं अन्य सम्पत्ति बाबत मौखित रूप से नियुक्त केयर टेकर श्री यदुनाथ सैन को अवैधानिक रूप से जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया गया जिससे अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन अतिक्रमण करने पर सख्त आरामा हो गया एवं विशालकाय कदीमी भारी वृक्षों को काटना प्रारम्भ कर दिया है जिससे प्रार्थीया व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आती है जिससे प्रार्थीया को अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान किया जाना जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीया को अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान करते हुए अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करावें। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 की गई बहस पर मनन किया एवं अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। **अतः न्यायाहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की जरिये पंजीकृत वसीयत प्राप्त स्वामित्व की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीया सन 2016 में वसीयतकर्ता दादी मां राजमाता श्रीमति उमाकान्ता देवी के स्वर्गवास के पश्चात से ही बहैसियत वसीयत वारिस /खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के सिजारियों को बेदखल कर जबरन अतिक्रमण कर विशालकाय भारी वृक्षों को नष्ट करने एवं प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा हो गया हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति स्थगित नही की गयी तो प्रार्थीया पंजीकृत वसीयत प्राप्त अपनी निजी सम्पत्ति से महरूम हो जायेगी। तहसीलदार, के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान्नीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 75/2019 बउनवानी श्रीमती चन्दना राठौड़ बनाम घनश्याम सिंह प्रस्तुत की जा चुकी है, जो विचाराधीन है एवं खसरा नम्बर 1281	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्दना राठौड बनाम घनश्याम सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधि0

प्रकरण संख्या.118 / 2023(अजमेर)

के शेष समस्त खसरा नम्बरान बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश की आड़ में वादी / रेस्पोडेन्ट संख्या0 1 द्वारा अपीलांट की जरिये पंजीकृत वसीयत स्वत्वाधिकार / मिल्कियत की निजी सम्पत्ति बाबत् अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब किये बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर एक तरफा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई है जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विरूद्ध होकर काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये है।जिसमें केवल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार ही मुर्तिब नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान्नीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 75 / 2019 बउनवानी श्रीमती चन्दना राठौड़ बनाम घनश्याम सिंह प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी को सरंक्षित नहीं किया जाता है तो अपूरर्णीय क्षति अपीलांट को होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी पर किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद कर वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे अपीलांट को वाद में पक्षकारकार मुर्तिब कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 में आंशिक संशोधन कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वर्णित विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति उभयपक्ष बनायी रखेगें तथा उभयपक्ष एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करेगें एवं वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई निमार्ण कार्य नहीं करने एवं आराजीयात को खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चन्दना राठौड बनाम घनश्याम सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधि0

प्रकरण संख्या. 118 / 2023(अजमेर)

आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner